

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/2004/497/श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. हरनाम कौर पत्नी तेजासिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
 - 1/1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम कौर निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
 - 1/2 दर्शन सिंह पुत्र हरनाम कौर निवासी सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रीतमसिंह पुत्र जन्टा सह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
 - 2/1 महेन्द्र कौर पत्नी प्रीतमसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
 - 2/2 मलकीतसिंह पुत्र प्रीतमसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
 - 2/2/1 जसवीर कौर पत्नी मलकीत सिंह,
 - 2/2/2 इन्द्रजीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह,उक्त दोनों जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
 - 2/2/3 साहब सिंह लोरा पुत्र मलकीत सिंह,हाल निवासी जर्मनी मुख्यारे आम इन्द्रजीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह।
 - 2/3 राजकार पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी जीतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 19 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 2/4 गुरजीतकौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी बिन्दुसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 49 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
 - 2/5 राजेन्द्र कौर पुत्री प्रीतमसिंह पत्नी भजनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 49 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. लछमन कौर पत्नी प्रीतमसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
 - 3/1 प्रोतम सिंह पति लछमनकौर,
 - 3/2 बलदेवसिंह पुत्र लछमनकौर,
 - 3/3 रेशमसिंह पुत्र लछमनकौर,
 - 3/4 सुखदेवसिंह पुत्र लछमनकौर,जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
 - 3/5 जसवन्तकौर पुत्री लछमनकौर पत्नी मलकीतसिंह निवासी चक 7 जेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 3/6 परमजीतकौर पुत्री लछमनकौर जाति कम्बोजसिख निवासी चक 22 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. जीवनसिंह पुत्र शोभासिंह बावरी मृतक जरिये विधिक वारिसान
 - 4/1 महेन्द्र पुत्र श्री किसनाराम पुत्र श्री जीवनसिंह,

- 4/2 जोगेन्द्र पुत्र श्री किसनाराम पुत्र श्री जीवनसिंह,
दोनों जाति बावरी, निवासी डबलीबास मौलवी।
5. प्रीतमसिंह पुत्र गुजरसिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
- 5/1 बलदेवसिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
- 5/2 सुखदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह,
- 5/3 जसवंत कौर पत्नी प्रीतम सिंह,
उक्त दोनों निवासी 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 5/4 परमजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह निवासी 22 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 5/5 रमेश सिंह पुत्र प्रीतम सिंह मृतक जरिये विधिक वारिसान-
- 5/5/1 छिन्द्रपाल कौर पत्नी रमेश सिंह,
- 5/5/2 लखविन्द्र सिंह पुत्र रमेश सिंह,
- 5/5/3 सतपाल सिंह पुत्र रमेश सिंह,
निवासी 7 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 5/5/4 वीरपाल कौर पुत्री रमेश सिंह निवासी वार्ड नं. 11,3 जे वीपीओ कालिया तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।
- 6 दर्शन सिंह पुत्र तेजासिंह।
- 7 सुरेन्द्र सिंह पुत्र तेजासिंह।
उक्त दोनों जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
- 8 बलवीर कौर पुत्री तेजासिंह नृतक जरिये विधिक वारिसान-
- 8/1 हरदीपसिंह पति बलवीरकौर,
- 8/2 अमनदीप पुत्र हरदीपसिंह,
- 8/3 काकासिंह पुत्र हरदीपसिंह,
जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
- 8/4 संजू पुत्री हरदीपसिंह,
- 8/5 सनी पुत्री हरदीपसिंह,
उपरोक्त दोनों निवासी पुराना घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
- 9 राजेन्द्र कौर पुत्री तेजासिंह,
- 10 गुरमल कौर पुत्री तेजासिंह,
उक्त दोनों जाति कम्बोजसिख निवासी डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ

श्री अजिताभ शर्मा, अध्यक्ष
श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थित:-

1. श्री एस.पी. ओझा, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. श्री अमृतपाल सिंह वानर व श्री दिनेश कुमार सेन, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

दिनांक: 22.06.2026

निर्णय

1. हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” लिखा जाएगा) द्वारा अपील संख्या 97/1998 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2003 के विरुद्ध धारा 223, राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य मूल वाद के अनुसार इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 175 के तह प्रत्यर्थी जीवनसिंह पुत्र शोभासिंह (बावरी हरिजन) व प्रीतमसिंह पुत्र गुरजर सिंह व तेजासिंह पुत्र झण्डासिंह के विरुद्ध एस.डी.ओ. करनपुर के न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी चक 9 एन.एन. का मुरब्बा नंबर 31 की 25 बीघा नहरी भूमि प्रत्यर्थी जीवनसिंह (अनुसूचित जाति) की है, जिसे उसने प्रत्यर्थी संख्या-2 प्रीतमसिंह (सवर्ण) को सबलेट कर दी, जो राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 व 46 का उल्लंघन है। उक्त कारण से विवादित भूमि बहक सरकार रिज्यूम कर दी गई।
3. कार्यवाही के दौरान वादी तेजा सिंह की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर वारिस मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया। वारिसान ने जवाबदावा पेश कर कार्यवाही लड़ी, जिस पर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तित कर दिया।
4. प्रतिवादी संख्या- 1 जीवनसिंह व प्रतिवादी संख्या-2 प्रीतमसिंह की अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही हुई। तेजा सिंह की मृत्यु के बाद वारिसान को पुनः तलब किया गया। तेजा सिंह की बेवा हरनामकौर पहले उपस्थित हुई, बाद में अनुपस्थित रहने पर 07.10.1994 को एकतरफा कार्यवाही की गई। पुत्र सुरेन्द्रसिंह के विरुद्ध भी दिनांक 05.8.1994 को एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी हरनामकौर द्वारा जवाबदावा पेश करने पर न्यायालय ने दिनांक 13.01.1986 को वाद में तनकीयात कायम की। हरनामकौर को न्यायालय ने दिनांक 04.08.1983 को आदेश 10 पर पक्षकार बनाया। न्यायालय ने इस वाद में 3 तनकीयात बनाई गई।
5. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की साक्ष्य लेकर और एकपक्षीय बहस सुनकर वाद को दिनांक 12.05.1998 को डिक्री कर दिया और आराजी को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का आदेश पारित कर दिया।
6. इस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी हरनामकौर वगैरह ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर यह निष्कर्ष दिया कि बावरी वर्ष 77 से पूर्व अनुसूचित जाति में नहीं था। धारा 42 एवं ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम का उल्लंघन

नहीं मानते हुए और आराजी को इवेक्यू प्रॉपर्टी मानते हुए उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होना माने। इसी आधार पर अपील स्वीकार कर अपील न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी राजस्थान सरकार हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

7. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी ने मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति को सबलेट किया गया था। तहसीलदार ने धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में दिनांक 25.03.1983 को प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट अंकित था कि SC व्यक्ति द्वारा Non-SC को भूमि सबलेट की गई है। 1982 की पटवारी रिपोर्ट से सिद्ध था कि यह कब्जा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत है। 1982 में बावरी जाति राजस्थान में SC में शामिल हो चुकी थी, इसलिए धारा 42 सपठित धारा A का उल्लंघन होने से आराजी अधिग्रहण का आदेश विधिवत था। फिर भी राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त आदेश को अपास्त करने में त्रुटि कारित की। राजस्व अपील अधिकारी ने यह विचार नहीं किया कि प्रतिवादीगण ने 11.12.1985 को जवाबदावा तो दे दिया था, पर अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी और उसके पश्चात अनुपस्थित हो गए। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार/अपीलांत की साक्ष्य लेने के पश्चात बहस सुनकर वाद निर्णित किया, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी। अपील न्यायालय का यह मानना कि बेचान 1996 के हैं इसलिए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होती और अपील अनुचित और निरस्तनीय है। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के आदेश 47 नियम 27 के प्रार्थना-पत्र के तहत दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेने का आदेश अनुचित है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः उक्त आदेश निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि भूमि को 'इवेक्यू प्रॉपर्टी' मानते हुए DP Act 1954 के तहत उक्त भूमि का आवंटन किया जाना मानते हुए जो आदेश पारित किया, वह न्यायसंगत नहीं है। दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात राज्य में समस्त कृषि भूमि पर उसी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, चाहे आवंटन किसी भी नियम से हुआ हो। अतः राजस्व अपील अधिकारी का आदेश न्यायसंगत नहीं होकर निरस्तनीय है।
8. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पहले केवल तकनीकी आधार पर मियाद बिंदु पर निर्णित हुआ था। इसलिए पूर्व निर्णय का मौजूदा वाद पर res judicata का प्रभाव नहीं था, जिसके आधार पर दिया गया आदेश निरस्तनीय है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

9. दौराने बहस प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि धारा 175 के तहत तहसीलदार, पदमपुर के राज्य की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ विवादित आराजी को बहक सरकार रिज्यूम करने हेतु वाद पेश किया गया क्योंकि प्रतिवादी संख्या-1 जीवनसिंह बावरिया, जिसने अनुसूचित जाति का सदस्य होते हुए विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या-2, जो एक सवर्ण व्यक्ति है, को अवैध रूप से सबलेट कर दिया, जो राज. काश्त. अधिनियम की धारा 42 व 46 के विपरीत था। जवाब दावे के आधार पर 3 तनकीयात कायम की गई और राज्य का वाद डिक्री कर भूमि को सरकार के हक में रिज्यूम कर दिया गया।
10. पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 27.07.1976, वाद सं.77/76 से स्पष्ट है कि इसी विवादित भूमि को लेकर धारा 175 में सरकार द्वारा पहले भी दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि भूमि इवेक्यू-प्रॉपर्टी है और जीवनसिंह बावरिया अनुसूचित जाति का नहीं, बल्कि राजपूत बावरिया है। उस आदेश के खिलाफ कोई अपील, रिवीजन, रेफरेंस या रिव्यू नहीं हुआ, इसलिए उक्त निर्णय अंतिम हो गया। अतः इसी मुद्दे पर फिर से धारा 175 का वाद लाना 'रेस-ज्यूडिकेट' के सिद्धांत से वर्जित है।
11. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी के कथनानुसार 77 से पहले बावरिया जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती थी। जीवनसिंह ने विक्रय पत्र दिनांक 09.05.1969 में स्वयं को 'बावरिया-राजपूत' लिखा है। जमाबंदी संख्या-2036 प्रदर्श-1 में भी जाति 'बावरिया' अंकित है। विक्रय सन् 1969 में हुआ था। 1981 आर.डी. 571 के निर्णय के अनुसार 77 से पहले बावरिया जाति अनुसूचित जाति में शामिल नहीं थी, जिस कारण से उक्त जाति विक्रय के वक्त सवर्ण मानी जाएगी। अतः सवर्ण से सवर्ण को बिक्री में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 46 का उल्लंघन नहीं हुआ। राज्य द्वारा प्रस्तुत वाद में गैर-खातेदारी जमीन के विक्रय अथवा सबलेट का आरोप नहीं लगाया गया।
12. अपील कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2053 से स्पष्ट है कि विवादित भूमि 'भारत सरकार-भूधारक' के नाम और जीवनसिंह बावरिया 'गैर-खातेदार' के रूप में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि भूमि इवेक्यू-प्रॉपर्टी है, जो डी.पी. एक्ट और उसके नियमों के तहत आवंटित हुई थी। डी.पी. एक्ट की धारा 36 के अनुसार उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.पी.बी.रि.पि. संख्या-2739/86, निर्णय दिनांक 14.08.96 में भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण व्यक्ति के नाम पर बैनामा किए जाने पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि सन्द जारी होने से पहले डी.पी. एक्ट के तहत आवंटित गैर-खातेदारी जमीन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर डी.पी. एक्ट की जमीन के गैर-खातेदार द्वारा अन्तरण में कोई अड़चन है तो सक्षम अधिकारी उसी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी

द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 30.08.2003 को यथावत् रखने का निवेदन किया।

13. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।
14. विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी करणपुर के न्यायालय में विचाराधीन दावे में प्रतिवादी हरनाम कौर पत्नी तेजा सिंह, प्रीतम सिंह वल्द झंडा सिंह की ओर से इस आशय का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि चक 9 एनएन की आराजी मुरब्बा नंबर 31 के किला नंबर 1 से 5 के 5 बीघा भूमि जीवन सिंह से मुझ प्रतिवादी ठाकुर सिंह ने मुबलिग 6,000 रुपये में खरीद किया था। जिसका इकरारनामा सन् 1966 में लिखा गया था। तब जीवन सिंह ने 4,500 रुपये वसूल पा लिया था तथा बाकी अब बैनामा के साथ में ले लिया था। कब्जा आराजी मुझ प्रतिवादी के पास इकरारनामा के समय से ही चला आ रहा है। तथा आराजी मुरब्बा नंबर 31 किला नंबर 1 से 5, रकबा 5 बीघा, किला नंबर 6 से 10 के रकबा 5 बीघा की खरीद का सौदा 7,000 रुपये में सन् 1966 में करके 5,500 रुपया नगद जीवन सिंह ने वसूल पाकर कब्जा मुझ प्रतिवादी को दे दिया था तथा बाकी 1,500 रुपया लेकर दिनांक 09/05/1969 को मुझ प्रतिवादी के हक में बैनामा करा दिया था। हम प्रतिवादीगण का कब्जा इकरारनामे के समय से ही चला आ रहा है। आराजी जेर बहस की प्रतिवादी नंबर 1 ने सबलेट नहीं की है, बल्कि बेचान किया है, जो बिल्कुल विधिवत है। हम प्रतिवादीगण का आराजी जेर बहस पर कब्जा कानूनन विधिवत है। दोनों पक्षों द्वारा किया गया हस्तांतरण बिल्कुल पंजीकृत दस्तावेज के मुताबिक कानूनन सही व दुरुस्त है। प्रतिवादीगण के उक्त जवाब दावे में किए गए कथनों की तार्ईद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नकल दस्तावेजात से होती है। उक्त दस्तावेजात पर सब रजिस्ट्रार, करणपुर के कार्यालय की मोहर भी अंकित है। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज बेनामे के अनुसार विवादग्रस्त आराजी मुरब्बा नंबर 31 रकबा 15 बीघा नहरी किला नंबर 11 से 25 रकबा 15 बीघा नहरी को 17,000 रुपये में प्रीतम सिंह पुत्र झंडा सिंह को दिनांक 09/05/1969 को बेचना प्रकट होता है। विवादित भूमि जीवन सिंह ने दस्तावेज बेनामा दिनांक 09/05/1969 एवं 19/05/1969 में अपनी जाति बावरी राजपूत अंकित की है तथा जमाबंदी संवत् 2036 प्रदर्श एक में बावरी अंकित है तथा विक्रय सन् 1969 में ही कर दिया गया है। सन् 1969 में विवादग्रस्त भूमि के विक्रय के समय जीवन सिंह विक्रेता की जाति अनुसूचित जाति में शामिल होने का पत्रावली पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार की ओर से विक्रेता की जाति से संबंधित अधिसूचना और विक्रेता की वास्तविक जाति से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे जिनके अभाव में राज्य सरकार की ओर से किया गया कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

15. राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय में यह पाया है कि पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 27/07/1976 प्रकरण संख्या 77/1976 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सरकार का दावा तत्कालीन उपखंड अधिकारी करणपुर श्री नाहर सिंह आरएस द्वारा विवादित भूमि इवेक्यू प्रॉपर्टी होने एवं आवंटी जीवन सिंह के बावरी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होकर बावरी राजपूत होने से खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील/रिवीजन/रेफरेंस/रिव्यू किया गया हो ऐसा साक्ष्य इस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से वह आदेश अंतिम हो जाने से बाद में हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 में प्रस्तुत वाद पर रेस जुडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है इसलिए दोबारा वाद नहीं लाया जा सकता तथा कानून के नजरिए में पश्चात्कर्ती दावा प्रभाव शून्य है।
16. राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त निष्कर्ष के विरुद्ध द्वितीय अपील में ऐसा कोई तथ्य ध्यान में नहीं लाया गया है जिससे अपीलान्त का पक्ष साबित होता हो। अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में यह यह निष्कर्ष दिया है कि अपील में सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2053 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि भारत सरकार, भू-धारक के रूप में अंकित है तथा आवंटित जीवन सिंह बावरी निवासी डेलवा पु.अ. गैर खातेदार अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि इवेक्यू प्रॉपर्टी थी तथा डीपी एक्ट [The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954] जो उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों के अंतर्गत आवंटन की गई थी। उक्त एक्ट के अंतर्गत आवंटित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने संबंधी कोई विधिक प्रावधान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस संबंध में डीपी एक्ट की धारा 36 के प्रावधान निम्नानुसार हैं -

Section 36. Bar of jurisdiction—Save as otherwise expressly provided in this Act, no civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter which the Central Government or any officer or authority appointed under this Act is empowered by or under this Act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

इस प्रकार डीपी एक्ट के तहत की गई किसी भी कार्यवाही को किसी अन्य सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से यह साबित नहीं किया गया है कि आवंटी जीवन सिंह बावरी को इवेक्यू प्रॉपर्टी आवंटित नहीं हुई हो और उसे डीपी एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त नहीं हुए हों।

17. अपील न्यायालय ने यह पाया है कि गैर खातेदारी भूमि अर्थात सन्द जारी होने से पूर्व डीपी एक्ट के तहत आवंटित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। डीपी एक्ट के तहत आवंटित भूमि के गैर खातेदारी भूमि के अंतरण में कोई कानूनी अड़चन होती है तो डीपी एक्ट के अंतर्गत सक्षम अधिकारी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में संवत् 2053 की जमाबंदी का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि भूमि धारक के रूप में भारत सरकार अंकित है और काश्तकार के कॉलम में जीवन सिंह वल्द सोभा सिंह कौम बावरी साकिन डेलवा पु.अ. गैर खातेदार दर्ज है। चूंकि भूमि राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान राज्य की काश्तकारी भूमि पर कोई भी खातेदार अथवा गैर खातेदार, जो अनुसूचित जाति का हो वह अपनी कृषि भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकता जो गैर अनुसूचित जाति की श्रेणी का हो। इस प्रकार हम प्रथम अपील न्यायालय के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। चाहे भूमि पर स्वामित्व भू-धारक के रूप में राजस्थान सरकार हो अथवा भारत सरकार हो यदि अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को विक्रय करता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। किंतु पुनः प्रश्न यहां पर यही उत्पन्न होता है कि क्या विवादित भूमि को विक्रय करते समय विक्रेता जीवन सिंह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था?
18. इस संबंध में राजस्थान सरकार की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वर्ष 77 से पूर्व बावरी जाति अनुसूचित जाति में आती हो। अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से द्वितीय अपील में यह कथन किया गया है कि वर्ष 1982 में बावरी जाति राजस्थान में अनुसूचित जाति में सम्मिलित थी। इस कारण धारा 42 सपठित धारा 46 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण आराजी का अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया था। किंतु हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का बेचान सन् 1966 में ही हो जाना प्रमाणित होता है। राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई अभिलेख या विधिक बिंदु नहीं बताया गया जो इस बात का खंडन करता हो कि उस वक्त वाद लाने की मियाद 3 वर्ष थी जो वर्ष 1969 में खत्म हो गई।
19. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राज्य सरकार की ओर से विचारण न्यायालय में दावा करते समय यह अभिकथन किया गया कि भूमि प्रीतम सिंह पुत्र गुर्जर सिंह ने खरीद की है। जबकि अभिलेख के अनुसार भूमि प्रीतम सिंह पुत्र झंडा सिंह ने खरीदी है। प्रीतम सिंह पुत्र गुर्जर सिंह नाम का व्यक्ति का इस आराजी से कोई लेना-देना नहीं था न ही उसने इस आराजी को कभी खरीद किया न ही कभी उस पर कब्जा रहा।
20. उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचन के मद्देनजर अपील अपीलान्त में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक बल नहीं होने से अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय प्रकरण संख्या

97/1998 दिनांक 30/08/2003 में किसी तरह हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

21. निर्णय सुनाया गया।

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य

(अजिताभ शर्मा)
अध्यक्ष